RAJYA SABHA

Wednesday, the 6*th August,* 2014/15*th Sravana,* 1936 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

SOME POINTS RAISED

MR. CHAIRMAN: Question No. 401. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, just one point. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*).. Please.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, we don't want to disrupt the Question Hour. ...(*Interruptions*)... We don't want to disrupt the Question Hour. ...(*Interruptions*)... Sir, one point, just clarify it, and we will move on.

Sir, this 'UPSC' is a big issue. We don't ...

MR. CHAIRMAN: I thought we have worked out something ...(*Interruptions*)..

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I am asking you. No one wants to do politics with UPSC. There are four or five major issues. Please give us a chance at the end of Question Hour to raise these issues and look for a long-term solution. Sir, we want a long-term solution.

MR. CHAIRMAN: Mr. O'Brien, I thought we had discussed it in the morning meeting and at 12 o'clock, this will be taken up.

SHRI DEREK O'BRIEN: Thank you, Sir. ...(*Interruptions*)...

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question No. 401.

Violation of SOP by security forces

*401. DR. K. P. RAMALINGAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that security personnel had violated the Standard Operating Procedure (SOP) laid down for movements in Naxal hit areas;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that Government is committed to take the Naxals head on and that every possible step will be taken to prevent the recurrence of such incidents of ambush; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJ NATH SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The Government is committed to effectively tackle the LWE problem. The Standard Operating Procedures for the security forces during the anti LWE operations are dynamic in nature and are revised regularly, based on the changing tactics adopted by the Left Wing Extremists. The Central Armed Police Forces (CAPFs) regularly sensitize their officers and jawans to scrupulously adhere to the guidelines contained in the various SOPs. Instances of possible violation of SOPs are inquired into by the State Governments / CAPFs and, accordingly, necessary remedial measures are taken. The Government of India also issues advisories from time to time to the State Governments concerned and the CAPFs to adhere to the Standard Operating Procedures (SOPs) on various aspects of anti LWE operations.

DR. K. P. RAMALINGAM: Thank you, Mr. Chairman, Sir. I am very much thankful to the House also for allowing my Question.

Sir, I am fully satisfied with the answer given by the hon. Home Minister. Further, Standard Operating Procedure is to be followed by security personnel who are involved in combating Naxalism. These are formulated after much deliberations and meticulous planning.

My first supplementary, Sir, is this. I would like to know from the Minister that if the security personnel who are well trained in various aspects of security/combating activities themselves violate and do not follow the standard procedures prescribed for them, how they will succeed in combating Naxalism. I need an elaborate answer.

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, अब तक हमारे यहां एसओपी वायलेशंस यानी Standard Operating Procedure violations की 6 शिकायतें दर्ज हुई हैं, लेकिन जहां तक Standard Operating Procedure का प्रश्न है, यह बहुत flexible होता है । हमारे सामने किस प्रकार की परिस्थितियां है और उन परिस्थितियों में क्या करना है, उसमें एक strategic flexibility की आवश्यकता होती है । उस समय जो कमाडिंग ऑफिसर होता है अथवा जो ऑपरेशन को लीड करने वाला ऑफिसर होता है, वह समय को देखकर जो भी फैसला करना होता है, वह फैसला करता है । यदि माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो कौन-कौन सी एसओपी वॉयलेशंस की घटनाएं हुई हैं, उसकी जानकारी मैं देना चाहूंगा और यदि किसी specific SOP violation के बारे में माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं, तो वह भी मैं दे सकता हूं ।

DR. K. P. RAMALINGAM: Sir, I am satisfied with the answer.

Sir, my second supplementary is, whether it is a fact that Naxals are very much ahead in terms of strategy that is being adopted by the Government, which puts the Government in a disadvantageous situation.

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैं ऐसा नहीं मानता । नक्सलाइट्स की भी रणनीति होती है और ऑपरेशन करने वाली फोर्स की भी अपनी strategy होती है और मैं समझता हूं कि हमारे देश की जो Central Armed Police Force है, उसने जिस प्रकार की रणनीति बनाई है और जिस तरीके से उसने नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन किया है, उसके परिणामस्वरूप पिछले कई वर्षों से लगातार नक्सलवाद की घटनाओं में कमी आई है ।

SHRI D. RAJA: Sir, there are Standard Operating Procedures against Left Wing Extremism. I wish there should be similar Standard Operating Procedures against Right Wing Extremism also.

Having said that, Sir, these Standard Operating Procedures are not being followed in letter and spirit. There are excesses in the State of Chhattisgarh against tribal people. In the name of fighting Naxalites, the security forces have done damages to the life of tribal people in Chhattisgarh. That is one point.

Prof. Saibaba of Delhi University was taken under custody. What is the Standard Operating Procedure to take Professors like him in such a brazen manner in the night and put them behind bars ? How do you assess the situation ? Everybody knows that Prof. Saibaba is a physically-challenged person. He was taken into custody in the night and there was uproar in the Delhi University campus against his arrest. But, what is the Standard Operating Procedure when such actions are carried out by security forces?

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि गिरफ्तारी में किसी SOP की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए एसओपी वायलेशन का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जहां तक गिरफ्तारी का प्रश्न है, जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, यदि किसी क्षेत्र में नक्सल हिंसा बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, सरकार को उन सूचनाओं के आधार पर कुछ प्रभावी कदम उठाने पड़ते हैं । लोग कोर्ट में भी जाते हैं । अंतिम फैसला जो कुछ भी होता है । वह कोर्ट के माध्यम से ही होता है । जहां तक इस समस्या से निपटने का प्रश्न है, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम किसी भी प्रकार की उत्पीड़न की कार्रवाई, चाहे वह आदिवासी हो अथवा कोई हो, उसके विरूद्ध नहीं करने वाले हैं । नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने के लिए जो भी सतुंलित कदम हो सकते हैं, जो भी बेलेन्स्ड स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, हमारी सरकार वे बेलेन्स्ड स्टेप्स भी उठाएगी, लेकिन मैं सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम हिंसा को, आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बात की भी चिंता करेंगे कि जो ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए हैं, आजादी हासिल होने के बाद अब तक उनका जो एक कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए था या अपटू-सम-एक्सटेंट होना चाहिए था, नहीं हो पाया है, उनका डेवलपमेंट कैसे हो ।

श्री सभापति: श्री जी.एन. रतनपुरी ।

श्री नरेश अग्रवाल: सर, मैंने पहले हाथ उठाया था ।

श्री सभापति: ठहर जाइए, ठहर जाइए प्लीज ।

श्री जी.एन. रतनपुरी: चेयरमैन साहब, सिक्योरिटी के लिए चेलेन्जेज माओज़ एक्सट्रीमिज्म है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह लेफ्टिस्टस एक्सट्रीमिज्म से जो एरियाज प्रभावित हैं, उनमें डिस्टर्ब एरियाज में AFSPA इनवोक क्यों नहीं किया जाता ? इसके बावजूद भी कि होम मिनिस्ट्री ने और जम्मू और कश्मीर की सरकार ने इसकी कई बार इसकी सिफारिश की है, इसे जम्मू एंड कश्मीर से क्यों नहीं हटाया जाता?

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि यह सवाल LWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर से जुडा हुआ नहीं है ।

श्री जी. एन. रतनपुरी: ठीक है, लेकिन उससे मुताल्लिक यह सवाल है, इसको प्लीज अलग मत कीजिए । मिनिस्ट्री ने इसको रिकमंड किया है कि AFSPA हटाया जाना चाहिए, जम्मू-कश्मीर की सरकार अगर बार-बार कहती है, जम्मू कश्मीर के स्टेकहोल्डर्स अगर बार-बार यह डिमांड करते हैं, तो सरकार इस पर चुप क्यों है? आप खुद कहते हैं कि माओइस्ट एक्सट्रीमिज्म सबसे बड़ा चेलेन्ज है, लेकिन bigger than the challenge we are facing in Jammu and Kashmir, तो इस पर आप क्या कहेंगे ? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. Please sit down. आप सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं, रतनपुरी जी, आप बैठ जाइए ।

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैंने यह सब नहीं कहा कि जो LWE का चेलेन्ज है, वह जम्मू-कश्मीर का जो चेलेन्ज है, उससे बड़ा चेलेन्ज है, उससे छोटा चेलेन्ज नहीं है । यह बात मैंने नहीं कही है । यह बात सच है कि यदि कोई सेंट्रल एक्ट किसी भी स्टेट में प्रभावी रहता है और यदि किसी स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा रहती है कि यह एक्ट वापस लिया जाना चाहिए अथवा इस एक्ट को निशप्रभावी बनाना चाहिए अथवा इस एक्ट को अब लागू नहीं करना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस संबंध में विचार करके जो भी आवश्यक होता है, वे फैसले करती है ।

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति जी, जीरम घाटी की घटना, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की हत्या हुई, उसके अंदर अमूमन तौर पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यह होता है कि जब भी कही कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, या जैसे उसमें कई लोग "जेड " कैटेगरी के थे, जिस रास्ते से उनका कन्वॉय गुजरता है, उस रास्ते का क्लीनिंग-अप-ऑपरेशन होता है, लेकिन इस घटना से यह संकेत मिलता है कि इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उल्लघंन हुआ है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जो नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेन्सी उसकी जांच कर रही है, उसकी जांच कब तक पूरी होगी और कब तक इसमें दोषियों को पकड़ा जाएगा?

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में जीरम घाटी में जो घटना घटित हुई, वह निश्चित रूप से बहुत पीड़ादायक घटना रही है और सारे देश ने उसकी आलोचना भी की है, लेकिन मैं

समझता हूं कि जीरम घाटी की जो घटना घटित हुई, उसमें एसओपी का वॉलेशन कहीं पर नहीं हुआ है, बल्कि मेरी जो अब तक की जानकारी है, और जानकारी भी मैं अपनी तरफ से लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार शायद यह सूचना भी दी गई थी कि जिस मार्ग से वे गुजरने वाले थे, उस मार्ग से यह convoy न गुजरे ।

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No discussion on this. ...(*Interruptions*)... Question No. 402 ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, the statement is incorrect. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: If you find the statement incorrect or misleading, please raise it up. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: The fact remains that the Government in Chhattisgarh was responsible for the ...(*Interruptions*)... This is highly objectionable. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: If the answer is inaccurate, there is a procedure for raising it. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: We have evidence to prove that the Government of Chhattisgarh ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Question 402.

Implementation of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979

*402. DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN : Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government is implementing the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 and rules framed thereunder ;

(b) if so, whether workmen were looked after and compensation provided by Government after the Moulivakkam and other incidents and death of migrant workmen; and

(c) if not, the proposal for protecting workmen migrating towards Tamil Nadu from Odisha, Andhra Pradesh, Bihar, Assam and other States?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR): (a) to (c) A Statement is Laid on the Table of the House.